रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082024-256793 CG-DL-E-30082024-256793

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2024/भाद्र 8, 1946

No. 485]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2024/BHADRA 8, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 30 अगस्त. 2024

सं. 21/2024-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 525(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक, 19 जुलाई, 2022, जिसे संख्या सा.का.नि. 584(अ), दिनांक 19 जुलाई, 2022, में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "रु. 1850 प्रति टन" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

5559 GI/2024 (1)

2. यह अधिसूचना 31 अगस्त, 2024 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरय]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 19 जुलाई, 2022 जिसे सा.का.िन. संख्या 584 (अ), दिनांक 19 जुलाई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 20/2024- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 16 अगस्त, 2024 जिसे सा.का.िन. संख्या 503(अ), दिनांक 16 अगस्त, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II. खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2024

No. 21/2024-Central Excise

G.S.R. 525(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 18/2022-Central Excise, dated the 19th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 584(E), dated the 19th July, 2022, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against S. No. 1, for the entry in column (4), the entry "Rs. 1850 per tonne" shall be substituted;
- 2. This notification shall come into force on the 31st day of August, 2024.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secv.

Note: The principal notification No. 18/2022-Central Excise, dated the 19th July, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 584(E), dated the 19th July, 2022, and was last amended *vide* notification No. 20/2024-Central Excise, dated the 16th August, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 503(E), dated the 16th August, 2024.